महिला समाख्या
महिला समानता हेतु शिक्षा

मानव संसाधन विकास मंत्रालय
(शिक्षा विभाग)
भारत सरकार
नई दिल्ली
अक्तूबर, 1988

371.822
BHA-I

विषय-वस्तु

1. नीति
2. उद्देश्य
3. कार्यक्रम के भाग
   3.1 महिला संघ
   3.2 सहयोगिनी
   3.3 प्रौढ़ एवं बच्चों की अनौपचारिक शिक्षा तथा जन शिक्षण निलायम
   3.4 सहायक सेवायें
   3.5 व्यावसायिक पाठ्यक्रम
4. प्रशासनिक ढांचा
   4.1 महिला समाख्या सोसाइटी
   4.2 सितारा
   4.3 जिला संसाधन
   4.4 जिला कार्यान्वयन इकाई
   4.5 प्रौढ़ शिक्षा और बच्चों की अनौपचारिक शिक्षा के लिए ज़िला कार्यान्वयन इकाई में जिला संसाधन इकाई
   4.6 राष्ट्रीय संसाधन समूह
5. कार्यक्रम की शुरूआत तथा विस्तार
6. कार्यक्रम के कार्यकर्ताओं का चयन
7. प्रशिक्षण
8. प्रलेखन सुझाव और मूल्यांकन
9. स्वैच्छिक संस्थाओं को कार्यक्रम के जिलों के बाहर भी शामिल करना
10. कार्यक्रम को चरणबद्ध करना
11. कार्यक्रम का विस्तार
12. कार्यक्रम के लिए वित्त-पोषण

अनुक्रमणिका:

स्वैच्छिक संस्थाओं को महिला समाख्या-महिलाओं की समानता हेतु शिक्षा-की रूपरेखा के आधार पर परियोजना लेने के लिए सहायता प्रदान करने की योजना।

NIEPA DC

1278MH-2

D10791

LIBRARY & DOCUMENTATION
National Institute of Educ
Planning and Administrat
17-B, Sri Aurobindo Mar
New Delhi-110016
DOC, No D-10791
Date ..... 26-07-2000.

महिला समाख्या

1. नीति

1.1 राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यह माना गया है कि महिलाओं का शिक्षित और साक्षर न होने का मुख्य कारण उनकी सामाजिक आर्थिक व सांस्कृतिक परिस्थिति है। नीति में "महिलाओं की खास जरूरतों को पूरा कर उन्हें शिक्षा के लिए बराबर मौके देने और गैर बराबरियों को दूर करने पर खास बल दिया गया है।" राष्ट्रीय शिक्षा नीति के भाग 4 में कहा गया है:

> "महिलाओं के स्तर में बुनियादी बदलाव लाने के लिए शिक्षा को माध्यम बनाया जाएगा। पुरानी कुरीतियों को प्रभावहीन करने के लिए शिक्षा व्यवस्था का साफ झुकाव महिलाओं के हक में होगा। राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली महिलाओं को सशक्त बनाने में एक ठोस भूमिका निभाएगी। ..... यह नये मूल्यों के विकास को प्रोत्साहित करेगी ..... सहायक सेवाओं के द्वारा महिलाओं में निरक्षता को व प्रारम्भिक शिक्षा तक उनकी पहुंच में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने को सबसे ज्यादा अहमीयत दी जाएगी ..... महिलाओं के विषय में एक खास रूढ़िवादी सोच को दूर करने के लिए ..... भेदभाव न करने की नीति अपनाई जाएगी।"

1.2 कार्य योजना (1986) में सशक्त बनाने के तरीकों को भली भांति बताया गया है:

> "सामूहिक विचार और निर्णय प्रक्रिया द्वारा महिलाओं को मजबूत बनाया जा सकता है। सशक्तता को जानने के पैमाने इस प्रकार हैं :—
>
> - एक सकारात्मक आत्म-छवि और आत्मविश्वास बनाना
> - उनमें आलोचनात्मक ढंग से सोचने की क्षमता विकसित करना
> - सामूहिक जुड़ाव पैदा करना और फैसले करने और उस पर अमल करने के लिए उत्साहित करना।
> - सामाजिक बदलाव लाने में बराबर की भागीदारी को सुनिश्चित करना।
> - आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए साधन मुहैया कराना।

1.3 रा॰ शि॰ नी॰ और कार्य योजना के अनुसार गुजरात, कर्नाटक व उत्तर-प्रदेश के 10 जिलों में एक कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम का झुकाव खासतौर पर एक ऐसा तंत्र बनाने पर होगा जिसमें महिलाएं अपनी शिक्षा की योजना बनाने व उसमें सुझाव देने में पूरी भागीदारी निभा सकें। उनको एक नई जानकारी और ज्ञान तक पहुंचा सके।

1.4 महिलाओं में आलोचनात्मक ढंग की सोच पैदा करने के लिए उनसे बातचीत कर उनके लिए समय व जगह उपलब्ध कराने की भूमिका शिक्षा के जानकारों को निभानी पड़ेगी। महिलाएं एक ऐसे कभी न खत्म होने वाले चक्र में फंसी हुई है जहां उनकी स्वयं को शिक्षित न कर पाने की मजबूरी इस रूढ़ी को

बल देती है कि शिक्षा उनके लिए बेकार है। भोजन, ईंधन, पानी, मवेशियों के लिए चारा, बच्चा पैदा करना और बड़ा करना इत्यादि के लिए उनकी रोज की लड़ाई में, उनकी सारी शक्ति खत्म हो जाती है। उनके सामाजिक संबंध, उनकी सांस्कृतिक परम्पराओं, मनाहियों और अंधविश्वासों द्वारा तय होते हैं। उनकी समाज व परिवार की भूमिकाएं पहले ही से तय है। उन्हें सामाजिक व शारीरिक दोनों तौर पर दबाया जाता है। अपने सामने घटने वाली घटनाओं को छोड़ उनकी पहुंच किसी जानकारी तक नहीं है। निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी न होने के कारण महिलाएं, सरकारी कार्यक्रमों व योजनाओं से सीधा नहीं जुड़ पातीं। अपने हकों के बारे में कोई जानकारी न होने के कारण वे अपने माहौल को शक और डर की निगाह से देखती हैं।

1.5 ये सभी कारण औरतों में एक निम्न स्तर की छवि को बल देते हैं। अंत में महिलायें अपने व समाज द्वारा बनाई छवि में फंस जाती हैं। यह कार्यक्रम गरीब महिलाओं की जिन्दगी की बंदिशों की तरफ ध्यान दिलाता है और महिला संघों के गठन द्वारा महिलाओं को कमजोर बनाने वाली ताकतों को दूर करने की आशा करता है। इस प्रकार महिला संघ एक केन्द्र बिन्दु है जिसके इर्द-गिर्द इस कार्यक्रम की सांठ-गांठ होगी।

1.6 इस कार्यक्रम के तहत दिए जाने वाले विभिन्न उपाए — जैसे प्रौढ़ शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, जन शिक्षण् निलायम, गांव की महिलाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण, सहायक सेवायें इत्यादि — तभी दी जायेंगी, जब महिला संघ द्वारा इसकी मांग होगी। इस तरह गांव की महिलाओं को महिला संघ की गतिविधियों की योजना बनाने का मौका मिलेगा। ये विभिन्न कार्यक्रम एक ही कार्यान्वयन एजेंसी के द्वारा दिये जायेंगे जिससे एकीकृत वितरण प्रणाली को जन्म दिया जा सके।

1.7 महिलाओं को शिक्षित करने व सशक्त बनाने की सोच को वास्तविक आकार देने के लिए योजना के विभिन्न चरणों में पुरूष और परिवार को साथ लेकर चलना जरूरी है। शिक्षा प्रणाली में सामाजिक सोच व स्त्री संबंधी भेदभाव को तभी प्रभावित किया जा सकता हैं जब इस कार्यक्रम को प्रौढ़ शिक्षा व अनौपचारिक शिक्षा से जोड़ने की कोशिश की जाए। इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए परियोजना क्षेत्र में काम कर रही सभी स्कूल की अध्यापिकाओं, प्रौढ़ व अनौपचारिक अनुदेशिकाओं और अध्यापक-प्रशिक्षण संस्थानों को इस कार्यक्रम में लिया जाएगा। कार्यक्रम जिलों के शहरी केन्द्रों को भी खास निवेश के रूप में लिया जाएगा।

2. उद्देश्य

कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं :—

2.1 एक ऐसी प्रक्रिया को शुरू करना जिसमें महिलाएं अपने जीवन को उदासीन भाव से स्वीकार करने की जगह अपने जीवन और आसपास के वातावंरण के बारे में सक्रिय आत्म निर्णय लेने की जरूरत महसूस करें। यह काम महिला संघ के द्वारा एक ऐसी प्रक्रिया को शुरू करने से होगा जो उनकी आत्म-छवि को उभारेगी।

2.2 ग्रामीण महिलाओं के साथ काम करने वाली प्रतिष्ठित स्वैच्छिक संस्थाओं की रचनात्मक कार्य पद्धतियों को बढ़ावा देना। प्रबन्ध के आपसी सहारे की प्रणाली के द्वारा यह कार्यक्रम उन लोगों का सहयोग पाने की कोशिश करेगा।

2.3 सामान्य पाठ्यक्रम के द्वारा औपचारिक और अनौपचारिक स्कूल शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और शिक्षा की योग्यताओं के स्तर को बेहतर करने के लिए और सामयिक प्रयासों को एक गांठ में बांधने के लिए एक क्षेत्रीय योजना की प्रणाली को अपनाना। इन सभी कार्यक्रमों को महिला संघों की महिलाओं द्वारा व्यक्त की गई जरूरतों के अनुसार सशक्त बनाया जाएगा।

2.4 संवेदनशील प्राशिक्षण और शिक्षण सामग्री के रूप में संसाधन जुटाकर गांव के स्कूलों, अनौपचारिक और प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों में नई शक्ति भरना। यह कार्यक्रम शिक्षा कर्मियों को एक ऐसे ताने बाने में बांधेगा जिसमें आपसी सहयोग और जानकारी बांटने की व्यवस्था होगी।

2.5 कार्यक्रम के सभी स्तर और सभी काम करने वालों के लिए एक नियमित गतिविधि के रूप में प्रशिक्षण की रूपरेखा बनाना।

2.6 शिक्षा प्रणाली, गांव के लोगों, खास तौर से महिला संघों और अभिभावकों के प्रति शिक्षकों की जवाबदेही को जन्म देगी।

2.7 बच्चों की देखभाल, सीने के पानी, ईंधन, चारा इत्यादि की परेशानियों को यह कार्यक्रम अपने से सीधा जोड़ेगा। इस कार्यक्रम के द्वारा एक ऐसी प्रक्रिया शुरू होगी जिसमें महिलायें अपनी परेशानियों की एक सामूहिक समझ बनाते हुए उनको दूर करने के लिए मिलजुल कर कार्यवाही करेंगी। यह कार्यक्रम एक ऐसी प्रक्रिया को चलाना चाहता है जहां महिलायें सक्रिय रूप से व्यावहारिक ज्ञान और शिक्षा की मांग करे। सहभागी योजना प्रक्रिया के द्वारा यह कार्यक्रम संस्थाओं और कार्यकलाप केन्द्रों का निर्माण करेगा जो महिलाओं को इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से सहयोग देगी।

3. कार्यक्रम के विभिन्न भाग

3.1 महिला संघ

इस कार्यक्रम में हर गांव में एक महिला कार्यकलाप केन्द्र-महिला संघ-की स्थापना की जाएगी। हर गांव से एक या दो महिलाओं को चुनकर उन्हें अपने गांव में महिला प्रेरक बनने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये महिलाएं, महिलाओं से जुड़ी हुई परेशानियां, जैसे शिक्षा, शिशु पालन, सेहत, ईंधन, चारा, पीने का पानी और सबसे ज्यादा उनके अपने व्यक्तित्व व आत्मछवि पर चर्चा को उकसाएंगी। सकारात्मक आत्मछवि को विकसित करने की दिशा में यह पहला कदम होगा और साथ ही यह आलोचनात्मक सोच की प्रक्रिया को और एक साथ काम करने के तरीके को जन्म देगी। उम्मीद है कि महिला संघ के काम द्वारा शिक्षा की जरूरत उभर कर सामने आएगी। एक छोटी सी झोपड़ी व आंगन जैसी एक जगह हर गांव में बनाकर महिलाओं के लिए अपना एक ठिकाना बनाने का प्रावधान भी है। प्रौढ़ शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, व्यावसायिक पाठ्यक्रम, बच्चों का पालन इत्यादि विभिन्न कार्यक्रम महिला संघ की मांग करने पर ही उन्हें दिए जाएंगे।

वहां की स्वैच्छिक संस्थाओं और सामाजिक प्रेरकों के द्वारा बुलाई गई, गांव के स्तर की मीटिंग में महिला संघ के समन्वयक को ढूंढा जाएगा। इन्हें जिला कार्यान्वयन इकाई द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा। नेतृत्व करने की काबलियत, और काम में रूचि रखने वाली महिलाओं को ही चुना जाएगा, इसके लिए साक्षर होना जरूरी योग्यता नहीं है। महिला संघ समन्वयक अल्प कालिक कार्यकर्ता होंगी। इसमें एक -दो महिला संघ समन्वयक और उन्हें 200/- रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह का प्रावधान है। जहां समन्वयक दो से ज्यादा होंगी वहां इस राशि को बांट लिया जायेगा। महिला संघ सामूहिक जिम्मेदारी की धारणा के बारे में सोच सकता है और उस हालत में महिला संघ के सदस्य ही तय करेंगे कि इस मानदेय को कैसे बांटा जाए। इस में जुड़ने वाले क्षेत्रों की विविधता के कारण इस तरह के लचीलेपन को कार्यक्रम में ही बुना गया है।

3.2 सहयोगिनी

हर दस महिला संघों के साथ एक समन्वयक-सहयोगिनी होगी। वह जिला कार्यान्वयन इकाई और महिला संघ के बीच में एक कड़ी होगी। सहयोगिनी गरीब महिलाओं के साथ काम करने में रूचि और सक्षमता से पहचानी जाएगी। सहयोगिनी बुनियादी तौर पर शिक्षित हो, ऐसा सोचा गया है पर जहां जरूरी होगा उसको हटा कर प्राथमिक या उच्च प्राथमिक शिक्षा वाली महिला को भी सहयोगिनी बनाया जा सकता है। जिला कार्यान्वयन इकाई के द्वारा स्थानीय स्वैच्छिक समूह की मदद से सहयोगिनी का चुनाव होगा। उसका प्रशिक्षण जि० का० ई० के द्वारा होगा। उसको 750/-रु० वेतन और यात्रा भत्ता/रोजाना का भत्ता के रूप में 250/-रु० हर महीने दिये जाएंगे।

सहयोगिनी का मुख्य काम होगा कि वह महिला संघ की जरूरत के अनुसार उन्हें जानकारी, सहायता और राह दिखाए और आगे बढ़ने में मदद करे। व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए महिलाओं की खासियतों का पता लगाने और गांव के स्तर के कार्यकर्ताओं को जि०का०ई० के संपर्क में लाने व उसके लिए प्रेरित करने और साथ ही सुविधाएं दिलवाने में भी समन्वयक का काम करेगी।

3.3 प्रौढ़ एवं अनौपचारिक शिक्षा और जन-शिक्षण निलायम

महिलाओं के लिए अनौपचारिक और प्रौढ़ शिक्षा के केन्द्रों का आयोजन किया जायेगा और ये केन्द्र महिला संघ के साथ तालमेल बैठाते हुए उनके सहयोग से काम करेंगे और महिलाओं और लड़कियों की जरूरत के मुताबिक होंगे। प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा के लिए जिला संसाधन इकाई जिला कार्यान्वयन इकाई का ही भाग होगी, जब तक जिला शैक्षिक एवं तकनीकी संस्थान काम करना शुरू नहीं करता क्योंकि अन्त में जिला संसाधन इकाई इसी का भाग होगी। यह अनुदेशकों को प्रशिक्षण देकर तैयार करेगी और शिक्षा से जुड़ी सामग्री तैयार करेगी व उसे अनुदेशकों के द्वारा लोगों तक पहुंचाएगी। अनुदेशकों का प्रशिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया होना चाहिए जो अध्यापक में रूचि पैदा कर सके, उसके रवैये को बदल सके और उसको शिक्षा की प्रक्रिया में भागीदार का एहसास करवा सके।

इस कार्यक्रम का वित्तीय प्रावधान, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा विभाग — प्रौढ़ शिक्षा/अनौपचारिक शिक्षा के कार्यक्रम के अनुसार है। प्रौढ़/अनौपचारिक शिक्षा के केन्द्रों को महिलाओं और लड़कियों की जरूरत के अनुसार मोड़ दिया जाएगा या उसमें बदलाव लाया जाएगा और पाठ्यक्रम पढ़ाने की सामग्री, उम्र इत्यादि में किसी कठोर पद्धति का पालन नहीं होगा। शिक्षा विभाग की मौजूदा योजनाओं की वित्तीय पद्धति को अपनाया जाएगा, जैसे जहां कहीं प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र हैं वहां प्रौढ़ शिक्षा प्रणाली को माना जाएगा और जहां कहीं भी अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र हैं वहां उसके अनुसार पद्धति चलाई जायेगी। प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों को चलाने का खर्च इसमें पहले ही जोड़ दिया गया है। जब भी प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र 25 से बढ़ जाते हैं तब परियोजना अधिकारी की नियुक्ति जिला कार्यान्वयन इकाई की स्वीकृत योजना के अनुसार इन केन्द्रों की देखभाल के लिए की जाएगी। महिला समाख्या के सभी जिलों में प्रौढ़ शिक्षा और/या अनौपचारिक शिक्षा, जन शिक्षण निलायम के साथ राज्य या पहले से ही राज्य या केन्द्र की निधियों के साथ स्वीकृत हैं। उनके आपस में तालमेल को नीचे लिखे ढंग से मजबूत किया जाएगाः

(क) उनमें इस कार्यक्रम के उद्देश्य के प्रति जोश पैदा करना;
(ख) महिला समाख्या की धारणा और लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुये प्रबन्धकर्ता और अनुदेशकों का प्रशिक्षण और पुनः प्रशिक्षण;
(ग) प्रशासन/प्रबन्ध कार्यकर्ता, जो महिला समाख्या के कार्यकर्ताओं के साथ आराम से काम कर सकें, की नियुक्ति की जाएगी

3.4 सहायक सेवायें

शिशु देखभाल केन्द्र और जल, ईंधन और चारे की उपलब्धता बढ़ाने के लिए सामूहिक प्रयोग के रूप में सहायक सेवा की व्यवस्था की जाएगी।

(क) जहां कहीं भी महिला संघ की तरफ से शिशु देखभाल केन्द्र की जरूरत महसूस की जाएगी वहीं पर यह सहूलियत दी जाएगी। 25% महिला संघ के लिए इसका वित्तीय प्रावधान है। अगर 25% से ज्यादा महिला संघ इसकी मांग करते हैं तब जिला कार्यान्वयन इकाई को वहां की राज्य सरकार, महिला एवं बाल कल्याण विभाग या केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड के साथ प्रयास और समन्वय करके उस क्षेत्र में शिशु देखभाल केन्द्र शुरू कराने चाहिएं। इन केन्द्रों का गठन तथा प्रबंध महिला संघ के द्वारा ही होगा।

(ख) सहायक सेवाओं से संबंधित सामूहिक प्रयोगों के लिए वित्तीय प्रावधान किया गया है। उदाहरण के लिए, पानी की कमी वाले इलाकों में पानी को इकट्ठा करने के लिए पानी की टंकी का निर्माण, अपने चारे व ईधंन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पेड़, घास और झाड़ियां उगाना, पीने के पानी को पम्प से निकालने के लिए सामुदायिक बायोगैस संयत्र लगाना, आदि। ऐसी गतिविधियां न केवल सामूहिक मेलजोल को बढ़ावा देंगी, बल्कि उससे सामूहिक ताकत और विश्वास की भावना पैदा होगी। चालू योजनाओं के माध्यम से ऐसी सेवायें देने के लिए जि० का० ई० जिला प्रशासन से समन्वय करेगी।

महिला शिक्षण केन्द्र (म० शि० के०)

(आवासीय संक्षिप्त पाठ्यक्रम संस्थान)

हर जिले में म० शि० के० स्थापित किये जाएंगे। यथा सम्भव किसी स्वैच्छिक संस्था के सहयोग से इस संस्था को चलाने के लिए अनुरोध किया जाए। अपनी शिक्षा को जारी रखने के लिए 100 लड़कियों/महिलाओं को छात्रावास की सुविधायें उपलब्ध कराई गई हैं। इस संस्थान के मुख्य लक्ष्य होंगे :—

(1) अपनी शिक्षा को जारी रखने और योग्यताओं को बढ़ाने के लिए गांव की महिलाओं को मौके दिए जाएंगे।

(2) प्रशिक्षित और योग्य महिलाओं का एक समूह बनाना हैं जो जिले में इस कार्यक्रम और अन्य शिक्षा और विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत काम कर सके।

कार्यक्रम से जुड़े प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कार्यशालाओं और बैठकों के लिए एक कम लागत पर बनी इमारत उपलब्ध करवाई जाएगी।

राज्य कार्यक्रम समन्वयक और राष्ट्रीय संसाधन समूह के द्वारा स्वैच्छिक संस्था को ढूंढा जाएगा। जहां इस काम को लेने के लिए कोई उपयुक्त स्वैच्छिक संस्था या कोई संगठन नहीं है वहां जि० का० इ० इसको सीधा या किसी उचित तरीके से चलाएगी।

3.5 व्यावसायिक पाठ्यक्रम

पढ़ी लिखी और अनपढ़ दोनों तरह की गांव की महिलाओं के लिए विभिन्न कुशलताओं से जुड़े उभरते व्यावसायिक मौकों को ध्यान में रखते हुए व्यावसायिक पाठ्यक्रम तैयार किए जाएगें। तीन प्रकार के तरीकों पर जोर दिया गया है:

I बड़ी उम्र की महिलाओं के लिए गांवों में ऐसे अल्पअवधि (5-7 दिन के) पाठ्यक्रम आयोजित करना जो उनको खास कुशलताओं में प्रशिक्षण दे सकें जिसके लिए लंबे समय के प्रशिक्षण की जरूरत न हो। (उदाहरण के लिए वनरोपण और चारा/ईधन आदि की आवश्यकताओं के लिए पौधशालाएँ लगाना)।

II कुशलताओं/दक्षताओं में महिलाओं को प्रशिक्षण देने के लिए लम्बे अर्से के पाठ्यक्रम (औसतन 30-50 दिनों के) जिसमें गहन प्रशिक्षण की जरूरत होगी। (उदाहरण के लिए रेशम उत्पादन, सहकारिता का प्रबन्ध, हैंडपंप, मिस्त्री आदि)।

ये पाठ्यक्रम अपने कौशल में विशेषज्ञता प्राप्त चुने हुए प्रशिक्षकों की एक टीम द्वारा अल्प अवधि के आधार पर आयोजित किए जाएंगे। यह जि० का० इ० को विभिन्न दक्षताओं के लिए पाठ्यक्रम आयोजित करने और संसाधन व्यक्तियों का बड़ा समूह बनाने में समर्थ बनाएगा। सहयोगिनियों के समन्वयन से ये पाठ्यक्रम जिला कार्यान्वयन इकाई द्वारा आयोजित किए जाएंगें। महिला संघों के माध्यम से सहयोगिनियों उन्हें दी जाने वाली दक्षताओं का पता लगाएँगी। जि० का० इ० की सलाह से सहयोगिनी इन पाठ्यक्रमों की जगह व अवधि तय करेंगी। हर जिले में अल्प अवधि-पाठ्यक्रमों की संख्या 10 और 20 के बीच होगी। लम्बी अवधि के पाठ्यक्रमों की संख्या बताना मुश्किल है, फिर भी हर साल हर जिले में 5 इस तरह के पाठ्यक्रमों के बारे में सोच सकते हैं।

स्कूलों में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का आयोजन करवाने में भी यह कार्यक्रम रूचि लेगा। नवीं से ग्याहरवीं कक्षा की जरूरत के अनुसार ये पाठ्यक्रम आयोजित किये जा सकते हैं। जिला शैक्षणिक प्रशासन के समन्वय से स्कूल के व्यावसायिक कार्यक्रमों का आयोजन इस प्रकार किया जाएगा कि वह रोजगार/स्वरोजगार की सम्भावना को सुनिश्चित कर सके। व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को शुरू करने के लिए छात्रों को उत्साहित करने व लड़कियों और उनके अभिभावकों का झुकाव इस की तरफ करने के लिए (एक दूसरे को पूरी तरह समझने के लिए) अनुकूलन कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे। व्यावसायिक शिक्षा में लिंग संबंधी पुरानी धारणा को हटाने के प्रयास के रूप में लड़कियों के लिए गैर-परम्परागत पाठ्यक्रम शुरू किए जांएगे। (वित्तीय प्रणाली 13.13 देखिए)

4. कार्यक्रम कार्यान्वयन ढांचा

4.1 महिला समाख्या सोसायटीः

इस कार्यक्रम को चलाने के लिए राज्य में एक सोसायटी पंजीकृत की जाएगी। इसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगेः

I साधारण परिषदः यह परिषद् राज्य के शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में गठित होगी और महिला विकास और शिक्षा से जुड़ी रहेगी। यह परिषद् तय किए गए क्षेत्र के अनुसार महिला समाख्या कार्यक्रम को लागू करने के लिए मार्ग-निर्देशन देगी और उसे क्रियान्वित करने के लिए सुझाव देने का भार लेगी। साधारण परिषद् की बैठकें नियमित अंतराल में होंगी पर कम से कम साल में दो बार जरूर होनी चाहिए।

II कार्यकारी समितिः यह इस कार्यक्रम के रोजाना के काम से जुड़ी होगी। वह समिति हर तीन महीने में एक बार या जरूरत के हिसाब से इससे कम अवधि में बैठक करेगी ताकि वह कार्यक्रम की प्रगति पर विचार कर सके, कार्यक्रम के अंतर्गत चलाई जाने वाली गतिविधियों के बारे में खास जानकारी और प्रशासन और वित्त से संबंधित समस्याओं के लिए रास्ता निकाल सके। इस कार्यक्रम के लिए यह एक अधिकार प्राप्त समिति के रूप में काम करेगी और प्रशासन और वित्त से जुड़े हुए इसके निर्णय अन्तिम होंगे। राज्य कार्यक्रम समन्वयक इस समिति की सदस्य सचिव होंगी।

कार्यकारी समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे :—

— राज्य के शिक्षा सचिव—अध्यक्ष
— राज्य कार्यक्रम समन्वयक—सदस्य सचिव
— जिला कार्यक्रम निदेशक—(3 या 4)
— राष्ट्रीय संसाधन समूह के मनोनीत सदस्य
— सम्बद्ध राज्य के महिला एवं बाल कल्याण विभाग का प्रतिनिधि
— निदेशक—सितारा
— हर जिले से महिला प्रेरक समूहों या गैर-सरकारी संगठनों में से एक व्यक्ति (अर्थात 3-4 व्यक्ति हर राज्य कार्यकारी समिति में) जो उस जिले में महिला समाख्या को लागू करवाने में निकट रूप से जुड़े होंगे।

साधारण परिषद् व कार्यकारी समिति दोनों में सदस्यों को रा० सं० स०, राज्य शिक्षा सचिव, जिला कार्यक्रम निदेशक तीनों की सलाह से मनोनीत करने की परम्परा को स्थापित किया जाएगा।

(iii) राज्य कार्यक्रम समन्वयक का कार्यालयः

राज्य कार्यक्रम समन्वयक संबंधित राज्य में कार्यक्रम का प्रशासनिक अध्यक्ष होगा। वह (महिला)

वरिष्ठ वेतनमान भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी, राज्य सेवा अधिकारी, या स्वैच्छिक क्षेत्र से गैर सरकारी अनुभवी महिला हो सकती है। महिला समाख्या की कार्यकारी समिति की सदस्य सचिव होने के कारण वह उसके सभी निर्णयों को लागू करेगी। वह आहरण और संवितरण अधिकारी होगी। कार्यकारी समिति के अध्यक्ष और सदस्य सचिव के रूप में (अर्थात शिक्षा सचिव और राज्य कार्यक्रम समन्वयक) को कुछ खास अधिकार दिए जाएंगे। वह रोजमर्रा के प्रशासन के लिए जिम्मेदार होगी और उसे परामर्श-दाताओं और सहयोगी कार्यकर्ताओं की सहायता प्राप्त होगी।

4.2 राज्य सूचना प्रशिक्षण और संसाधन संस्था (सितारा)

कार्यक्रम के मुख्य लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुये मूल्यांकन को व्यावहारिक नीति में निर्धारित एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया माना गया है। हर राज्य में राज्य सरकार की सलाह से राष्ट्रीय संसाधन समूह द्वारा एक स्वैच्छिक संस्था या सामाजिक विज्ञान संस्थान को सितारा के रूप में लिया जाएगा। सितारा के काम निम्नलिखित होंगे:—

(1) मूल्यांकन, आवधिक समीक्षाएं एवं प्रतिपुष्टि तंत्र ;
(2) महिला संघ और सहयोगिनियों पर जानकारी का संकल्प व वितरण;
(3) कार्यक्रम के नजरिये से उपर्युक्त पठन सामग्री, सूचना पत्र और दूसरे प्रकाशनों का प्रकाशन ;
(4) कार्यक्रम के अनुभवों का प्रलेखन, और
(5) प्रशिक्षण कार्यक्रम संगोष्ठियों और कार्यशालाओं में भाग लेना

4.3 जिला संसाधन समूह (जि॰ सं॰ स॰)

महिला समाख्या सोसायटी के द्वारा राष्ट्रीय संसाधन समूह की सलाह से हरेक जिले में कार्यक्रम को चलाने की सलाह और मार्गदर्शन के लिए एक जिला संसाधन समूह बनाया जाएगा।

वह एक समिति होगी जिसमें निम्नलिखित होंगे:

— उस जिले में काम कर रही स्वैच्छिक संस्थाओं के प्रतिनिधि-4 जिनमें से एक जि॰ सं॰ स॰ की अध्यक्षा होगी;
— जिला कार्यक्रम समन्वयक-जिल॰ सं॰ स॰ की सदस्य सचिव;
— राज्य शिक्षा विभाग का प्रतिनिधि ; —1
— राज्य संसाधन समूह की प्रतिनिधि ; —1
— मनोनीत किए जाने वाले अन्य सदस्य —2.
— कुल सदस्य —9

कार्यक्रम की प्रगति पर विचार करने, कार्यक्रम के अतंर्गत ली जा सकने वाली गतिविधियों पर खास मार्गदर्शन करने के लिए जि॰ सं॰ स॰ तीन महीने में एक बार या उससे भी जल्दी जरुरत पड़ने पर मिलेगा।

जिला सं॰ स॰ में मनोनीत होने वाली हर महिला का चयन रा॰ सं॰ स॰ राज्य शिक्षा सचिव और राज्य कार्यक्रम समन्वयक की आपसी सलाह से हो, ऐसी परिपाटी चलाई जाएगी।

4.4 जिला कार्यान्वयन इकाई (जि. का. ई.)

जिला कार्यान्वयन इकाई, महिला समाख्या की ही एक शाखा होगी और उसमें निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होंगेः

1. जिला कार्यक्रम समन्वयक
2. संसाधन व्यक्ति—पहले साल में एक
3. प्रशासनिक और सचिवालय संबंधी कार्यकर्ता
4. प्रौढ़ एवं अनौपचारिक शिक्षा के लिए जि॰ सं॰ई॰

जिला कार्यक्रम समन्वयक साधारणतया गैर सरकारी व्यक्ति होंगी जिन्हें महिला विकास और महिला शिक्षा के क्षेत्र में अनुभव हो। जि॰का॰ई॰ कार्यक्रम के सभी कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण को आयोजित करेगी और चलाएगी। यह विशेषज्ञों से इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम में अल्प-कालिक तौर पर जुड़ने के लिए निवेदन करेगी। यह जिला कार्यक्रम समन्वयक और रा॰सं॰स॰ के बीच समन्वयन करेगी जिससे जरूरत पड़ने पर उनके लिए साधन मुहैया करवा सके।

जिला का॰ ई॰ द्वारा निम्नलिखित कार्यों का समन्वय किया जाएगाः

1) महिला संघ और सहयोगिनियों के काम

2) महिला संघ के समन्वयक और सहयोगिनियों का प्रशिक्षण

3) कम अवधि एवं लंबी अवधि के व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

4) प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों, अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों, जन शिक्षण निलायम जो खासतौर पर इस कार्यक्रम के एक भाग के रूप में लाए गए हैं।

5) महिला शिक्षण केन्द्र (आवासीय संक्षिप्त पाठ्यक्रम संस्थान)

6) सहायक सेवा संबंधी घटक

7) जि॰ सं॰ स॰ द्वारा जिले के सभी शैक्षिक कार्यक्रमों में प्रशिक्षण एवं साधन संबंधी सहायता।

8) जिला स्तर पर पर्यवेक्षण, प्रबंध एवं वित्तीय जवाबदेही

4.5 प्रौढ़ एवं अनौपचारिक शिक्षा के लिए जिला कार्यान्वयन इकाई में जिला संसाधन इकाईः

जि॰ का॰ इ॰ में प्रौढ़ एवं अनौपचारिक शिक्षकों, और गांव के स्कूल के अध्यापकों के प्रशिक्षण और शैक्षणिक जरूरतों को पूरी करने के लिए एक प्रशिक्षण इकाई खोलने की राय है। यह इकाई ही जिला शैक्षणिक एवं तकनीकी संस्थान की प्रौढ़ एवं अनौपचारिक शिक्षा के लिए जिला स्तरीय संसाधन इकाई के समान होगी। यह इकाई प्रशिक्षकों, प्रौढ़/अनौपचारिक प्रशिक्षकों और गांव के स्कूल के अध्यापकों के लिए सेवाकालीन शैक्षिक कार्यक्रम और प्रेरक कार्यक्रम आयोजित करेगी। इस कार्यक्रम के तहत बनाई गई इस इकाई का फायदा गांव के स्तर पर शिक्षा के काम से जुड़े व्यक्तियों को होगा। अंततः यह जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान की जिला संसाधन इकाई बन जाएगी।

4.6 राष्ट्रीय संसाधन समूहः

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के शिक्षा विभाग में यह एक सबसे ऊंची इकाई होगी जो कि कार्यक्रम संबंधी निर्देश, समन्वयन, सुझाव देने और मूल्यांकन का कार्य करेगी। इस समूह में शिक्षा-शास्त्री, सामाजिक कार्यकर्ता, महिला उत्प्रेरक इत्यादि होंगे। कार्यक्रम के पहले साल (1988-89) में रा० सं० स० हर जिले में उपर्युक्त स्वैच्छिक संस्थाओं की सहायता जुटाएगा। जिला एवं विकास खंड स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के साथ इस कार्यक्रम को लागू किया जाएगा जिससे कार्यक्षेत्र के कार्यकर्ताओं का पहला समूह चुना जा सके। इसके अंतर्गत दूसरी गतिविधियों या कामों को लागू करने के लिए, पहले वर्ष सीधा अनुदान, चुनी हुई स्वैच्छिक संस्थाओं को दिया जा सकता है जो कि औपचारिक ढांचे के बनने से पूर्व समन्वय का काम करेंगी।

राष्ट्रीय कार्यक्रम समन्वयक राष्ट्रीय संसाधन समूह की सदस्य सचिव होगी। उसकी सहायता के लिए सलाहकार, एक अनुसंधान सहायक और सहयोगी कर्मचारी होंगे।

5. कार्यक्रम की शुरुआत तथा विस्तार:

जिला संसाधन समूह गांवों के चुनाव तथा संबंधित जिले में कार्यक्रम के विस्तार के लिए रूपरेखा तैयार करेगा। शुरुआत में गांवों का चुनाव स्थानीय स्वैच्छिक संस्था की सक्रिय मदद से होगा, इन गांवों से महिला उत्प्रेरकों को प्रशिक्षण देकर महिला संघ समन्वयकों और सहयोगिनियों के रूप में इस कार्यक्रम में लिया जाएगा। बाद में जि० का० इ० सहयोगिनियों एवं स्वैच्छिक संस्थाओं के तालमेल से कार्यक्रम अन्य गांवों में फैलाया जाएगा।

6. कार्यक्रम कार्यकर्त्ताओं का चुनाव:

6.1 इस कार्यक्रम की खासियतों को ध्यान में रखते हुए, कार्यकत्ताओं का चुनाव पुरानी पद्धतियों से करने से कार्यक्रम का उद्देश्य पूरा नहीं होगा सहभागी तरीकों, जिनमें प्रशिक्षण अनुकूलन व सामूहिक गतिविधियां शामिल हैं, के द्वारा व्यक्ति की उपयुक्तता को तय किया जाएगा।

6.2 राष्ट्रीय संसाधन समूह की सलाह से राज्य सरकार महिला समाख्या सोसाइटी के लिए राज्य कार्यक्रम समन्वयक और सलाहकार का चुनाव करेगी। जिला स्तर के कार्यक्रम के कार्यकत्ताओं का चुनाव एक समूह द्वारा किया जाएगा, जिसमें महिला समाख्या सोसाइटी की कार्यकारी समिति की सदस्य राज्य सूचना प्रशिक्षण एवं संसाधन एजेंसी (सितारा) की प्रतिनिधि, रा॰ सं॰ स॰ की सदस्य और समूह के अध्यक्ष के रूप में समन्वयकर्ता होंगे।

6.3 सहयोगिनियों और महिला संघ समन्वयक के चुनाव से पहले उस इलाके की महिलाओं से सलाह ली जाएगी जिन्हें उस इलाके में काम करना है। जिला कार्यक्रम निदेशक के द्वारा ही उसका असली फैसला लिया जाएगा पर उसे जि॰ सं॰ स॰ के एक सदस्य, रा॰ सं॰ स॰ और सितारा के एक-एक प्रतिनिधि को इस प्रक्रिया में जोड़ना होगा।

6.4 कुछ खास घटनाओं को छोड़कर इस कार्यक्रम की कार्यकर्त्ता महिलाएं ही होंगी।

7. प्रशिक्षणः

7.1 इस कार्यक्रम की सोच और कार्यप्रणाली कार्यकत्ताओं के प्रशिक्षण पर खासतौर से जोर देती है। सभी स्तरों पर दिया जाने वाला यह प्रशिक्षण, "प्रशिक्षण" शब्द की आम समझ से बिल्कुल अलग होगा। शिक्षा के द्वारा महिलाओं को सशक्त बनाना, महिलाओं को सिलाई, खाना-पकाना, टोकरी बुनना या लिखना-पढ़ना सिखाने अथवा हिसाब-किताब रखना सिखाने से, कहीं अधिक कठिन कार्य है।

7.2 इस कार्यक्रम में प्रशिक्षण अनुभव अपने आप में हर स्तर और हर समूह के लिए कार्यक्रम के मूल्य और प्रक्रियाओं का ही छोटा रूप है। यह प्रक्रिया उन रवैयों, मूल्यों, आपसी व्यवहार व माहौल को पुख्ता करेगी जिसे प्रशिक्षित महिला अपने व्यवहार से गांव के लोगों के बीच पैदा कर सके। इसलिए प्रशिक्षण कार्यक्रम निम्नलिखित मूल्यों पर आधारित और क्रियान्वित होगाः—

(क) प्रशिक्षण एक सहभागी अनुभव होना चाहिए। प्रशिक्षार्थियों द्वारा इस कार्यक्रम के मूल सिद्धान्तों को बखूबी जान लेने पर उन्हें इसकी शक्ल, ढांचे विषय-वस्तु तथा लक्ष्यों के नियंत्रण और निर्धारण की छूट होनी चाहिए। अगर उनका अपना प्रशिक्षण उन्हें सहभागी तरीकों को इस्तेमाल करना सिखाता है तो वे मूल्यों और तरीकों को उन लोगों को दे सकेंगे जिन समुदायों से उनका सम्पर्क होता है।

(ख) प्रशिक्षण को प्रयोगात्मक होना चाहिए अर्थात उस सच्चाई की जानकारी पर टिका होना चाहिए जिसमें भाग लेने वाले जीते और काम करते हैं। उनके हालात को सही और खुले दिल से जान लेने से पूरी एकता और सामूहिक जुड़ाव की भावना पैदा की जा सकती है। इस तरह के अनुभवों का खुला लेन-देन भी सहभागी माहौल को पैदा करेगा।

(ग) प्रशिक्षण को एक ऐसे सहभागी "समय और जगह" का माहौल पैदा करना चाहिए जिसे महिला समन्वयक बाद में महिलाओं में पैदा कर सके। एक ढांचे से बोझिल, पूर्व निर्धारित तथा कार्य प्रधान प्रशिक्षण कार्यक्रम यह नहीं कर सकता। कार्यकर्ता जब तक खुलेपन और सुरक्षा की भावना प्रशिक्षण में नहीं पाते तब तक वो "समय एवं जगह" को नहीं समझ सकते। प्रशिक्षक प्रशिक्षण के दौरान एक ऐसा खुला माहौल बनाए जो बाद में प्रशिक्षार्थी गांव की महिलाओं को दे सके।

(घ) इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को खुद एक "सीखने के माहौल" में होना चाहिए इसका मतलब कि (1) अलग-अलग यांत्रिक कुशलताओं या सूचनाओं के भंडार को देने की जल्दबाजी की भावना नहीं होनी चाहिए (2) प्रशिक्षक (जो जानते हैं) और प्रशिक्षार्थी (जिन्हें सीखना है) के बीच का सीढ़ीनुमा रिश्ता टूटना जरूरी है (3) मौजूदा लोगों के ज्ञान, अनुभव, संकोच और समस्याओं की इज्जत करना और उसे मानना भी अवश्य है (4) प्रशिक्षण प्रक्रिया उपदेश देने वाली न होकर सीखने सिखाने वाली होनी चाहिए।

7.3 प्रशिक्षण एक प्रक्रिया होना चाहिए न कि एक अकेली समय में बंधी हुई घटना जिसकी शुरूआत और अंत दोनों नकली हों। इसका कारण यह है कि इस प्रशिक्षण के माध्यम से हम नए मूल्यों को एक श्रेणी, व्यावहारिक पद्धतियां, रवैये और काम करने के ढंग की एक नई संस्कृति कायम करना चाहते हैं। अगर हम इस लक्ष्य को धुंधला या खत्म नहीं करना चाहते तो हमें इन पर लगातार जोर देते हुए सहयोग देना होगा। यह काम सुझाव और देखरेख का मुख्य काम होगा पर यह अकेला काफी नहीं है। समय समय पर कार्यकर्ताओं को फिर इक्टठा होना होगा और अपनी बैठक में अपने अनुभव, समस्याओं और सूझ-बूझ पर बात करनी होगी। इस तरह लगातार चलने वाले प्रशिक्षण के लिए इस कार्यक्रम में व्यवस्था करनी होगी। इस तरह की आवधिक समीक्षात्मक कार्यवाही को "सेवाकालीन" या "लगातार" चलने वाली प्रक्रिया वाला प्रशिक्षण कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह वास्तव मे ही इस प्रकार का होगा। इस तरह के चिंतन को समीक्षात्मक बैठकों में महीने में या फिर योजना बनाने और लागू करने की किसी भी व्यवस्था से जोड़ा जा सकेता है।

7.4 कार्यक्रम के मुख्य लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए इक्टठा व अलग-अलग प्रशिक्षण सभी कार्यकर्ताओं के लिए जरूरी है। प्रशिक्षण का पहला चरण जिसमें मूल्य देने और समूह बनाने की बात है वहां ढांचे में अलग-अलग स्तर के कार्यकर्ताओं को इक्टठा लाया जाना चाहिए बजाय इसके कि समान स्तर या समान कार्य के कार्यकर्ताओं को अलग-अलग स्थिति में प्रशिक्षित किया जाए। शुरूआत में हर स्तर के कार्यकर्ता का प्रशिक्षण साथ-साथ होना चाहिए जिससे प्रशिक्षण के उद्देश्यों को पाने में मदद मिलेगी। इससे गैर बराबरी के रिश्ते टूटेंगे, अपनापन और समूह की भावना पनपेगी, आपसी समझ बनेगी, सहयोग सहायता और एक ऐसी एकता पैदा होगी जिसके अभाव में यह कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता। इसके बाद अलग-अलग स्तरों के लिए खास किस्म का प्रशिक्षण विभिन्न स्तरों के कार्यकर्ताओं के लिए आयोजित किया जा सकता है। नए मूल्यों और धारणाओं को स्थापित करना इस कार्यक्रम का एक अंतरंग अंग होना चाहिए।

7.5 जिला कार्यान्वयन इकाई सभी कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करायेगी। जि०सं० स०, महिला समाख्या सोसायटी की मदद से टीम को ढूंढेगी। प्रौ०शि० और अ०शि० के लिए शिक्षा संबंधी और संसाधन सहयोग, जिला कार्यन्वयन इकाई में मौजूद प्रौ०शि० और अ०शि० की जिला संसाधन इकाई द्वारा मुहैया कराया जाएगा।

8. प्रलेखन, प्रबोधन और मूल्यांकनः

8.1 प्रलेखन, सुझाव और मूल्यांकन एक ऐसी लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जो कि इस कार्यक्रम को चलाने की कार्यनीति है और इसलिए इसे अलग नहीं किया जा सकता।

8.2 प्रलेखन दो तरह का हो सकता है। पहला प्रलेखन है क्षेत्र में क्या हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या-क्या समस्याएं हैं, कैसी अड़चनें आ रही हैं, कैसी-कैसी सफलता या विफलता मिली हैं, इस संबंध में कार्यक्रम के जिले और राज्य के स्तर के कार्यकर्ताओं की प्रमाणित की गई टिप्पणियां। दूसरे प्रकार के प्रलेखन में वो सब शामिल किया जाएगा जो हर स्तर के कार्यकर्ताओं द्वारा एकत्रित हुआ है जैसे कि कार्यकर्ताओं, औरतों, अध्यापिकाओं, अनुदेशकों आदि के पत्र, सहयोगिनियों के काम डायरी, साप्ताहिक मासिक बैठकों की रिपोर्ट, गांव में उठाए गए मुद्दे, जिला कार्यान्वयन इकाई की पत्रिका में प्रकाशित पत्र, लेख, कविताएं इत्यादि इस तरह की जानकारी को बहुत व्यवस्थित ढंग से एकत्रित किया जाएगा ताकि वह बदलते हुए रवैए, डर, उम्मीदें, उत्साह और औरतों द्वारा लड़ी गई लड़ाइयों की झलक दिखा सके। अनुभवों को इक्ट्ठा करने की एक अच्छी प्रणाली का विकास सहयोगी मूल्यांकन की दिशा में पहला कदम होगा। जि.का.ई. प्रलेखन के लिए जिम्मेदार होगी। इसका समन्वयन सितारा द्वारा होगा।

8.3 कार्यक्रम के अंतर्गत की जाने वाली गतिविधियां दस जिलों में फैली हैं और हर जिले में ये अलग हैं। इसलिए इस कार्यक्रम का सारा प्रबन्ध और विकास के लिए सुझाव एक महत्वपूर्ण कारक बना है। इसमें दो तरह की प्रबोधन इस प्रकार हैः-

1) सरकारी जरूरतों और कार्य पद्धतियों द्वारा अंदरूनी, बाहरी, वित्तीय और जन शक्ति संबंधी प्रबोधन । इस कार्यक्रम की जरूरतों के अनुसार इसकी समीक्षा राष्ट्रीय संसाधन समूह और राज्य महिला समाख्या की कार्यकारी समिति द्वारा की जाएगी।

2) निष्पादन के संकेतकों का खास प्रबोधन करना । यह सितारा के द्वारा शुरू किया जाएगा। सितारा की भूमिका पारंम्परिक निरीक्षणों से काफी ज्यादा है। सितारा के कर्मचारी, शिक्षा, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, मासिक बैठकों इत्यादि में भाग लेंगे। बातचीत और गतिविधियों में भाग लेकर, जानकारी को इक्ट्ठा किया जाएगा।

8.4 मूल्यांकन के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए गुणात्मक व संख्यात्मक गुणों को अलग करने की जरूरत है। उदाहरण के लिए किसी एक जिले में जिला का. ई. इस कार्यक्रम को निर्धारित जिलों की संख्या तक न पहुंचा पाई हो पर उसने जितने गांवों में यह कार्यक्रम पहुंचाया है वहां पर यह उत्साह और सहयोग का वातावरण तैयार करने में सफल हो गई हो। इस तरह के कार्यक्रम में मात्रा पर ध्यान न देकर गुणों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इसी तरह कार्यक्रम के अन्य गुणात्मक पहलुओं को समान महत्व देना होगा। इसके पहले साल के आखिर में ही कार्यकर्ताओं को मात्रा के पहलू और लक्ष्य को साफ तौर पर निश्चित करना होगा। परन्तु यह बात सबकों बता देनी चाहिए कि यह कार्यक्रम शिक्षा के अन्य कार्यक्रमों से अलग है तथा यह प्रक्रियावादी कार्यक्रम है, न कि लक्ष्यवादी।

9. कार्यक्रम के जिलों के बाहर स्वैच्छिक संस्थाओं को शामिल करना

इस कार्यक्रम को शुरू करने की भावना की उत्पत्ति इस विचार से हुई कि शिक्षा प्रणाली में सोचा समझा दखल दिया जाए और उसे राष्ट्र की महिलाओं की समानता के लक्ष्य से जोड़ा जाए। इसके महत्व को देखते हुये यह जरूरी है कि साथ-साथ दूसरे राज्यों और जिलों में इस कार्यक्रम को फैलाने के बारे में कदम उठाए जायें। यह सब जानते हैं कि कई स्वैच्छिक संस्थाएं महिला समाख्या के समान इस कार्यक्रम को चलाने में सक्षम हैं। इसलिए कार्यक्रम के 10 जिलों के बाहर की स्वैच्छिक संस्थाओं के वित्तीय सहयोग के लिए कुछ राशि रखी गई है ताकि वो महिला समाख्या के लक्ष्य और तरीकों को ख्याल में रख कर पहले से सोचे गये इलाकों में शुरू कर सकें। इसको ध्यान में रखते हुये अलग से निर्देश दिए जायेंगे (देखिए अनुबंध)।

10. कार्यक्रम का चरणबद्ध तरीका:

10.1 इस कार्यक्रम को इस ढ़ंग से बनाया गया है कि इसका विस्तार धीरे-धीरे हो। इसका गुणात्मक और संख्यात्मक विस्तार कार्यान्वयन की शुरू की अवस्था के दौरान होने वाली उपलब्धियों पर निर्भर होगा। आवधिक समीक्षा महीने में कम से कम एक बार की जाएगी, जिसमें प्रगति एवं कमियों का मूल्यांकन किया जाएगा और उसे फैलाने की दर के बारे में कहा जाएगा । अगर जरूरत हो तो उचित सुधार करने की कोशिश की जाएगी। यदि जरूरी समझा गया तो प्रणाली को फिर से चरणबद्ध करने और विभिन्न घटकों पर बल देने में परिवर्तन करने की व्यवस्था होगी।

10.2.यह कार्यक्रम अलग-अलग आदानों जैसे प्रशिक्षण, चलाने वाले संसाधनों को बनाने में, उपर्युक्त कर्मचारी और सबसे ज्यादा सहायक सेवाओं को बनाने व गठन पर निर्भर करता है। जब महिला संघ की जड़ें मजबूत हो जाएंगी तभी प्रौ० शिक्षा एवं अ० शिक्षा के केन्द्रों की स्थापना की जाएगी। इसी प्रकार पूरी तैयारी के बाद ही संक्षिप्त पाठ्यक्रम संस्थान और व्यावसायिक पाठ्यक्रम आयोजित किए जायेंगे। बाहरी उपलब्धियों का प्रबोधन और मूल्यांकन पहले साल में सामान्य होगा। क्योंकि इस अवधि के दौरान संस्थानों के निर्माण एवं प्रशिक्षण को पहली अहमियत दी जाएगी।

10.3.1988-89 में आठवीं पंचवर्षीय योजना में इसका जारी रहना संसाधनों की मौजूदगी पर निर्भर करेगा। दस महिला संघों, जिनमें एक सहयोगिनी होगी, को मिला कर दस गांव के समूहों में इसे लागू किया जाएगा। जहां तक सम्भव हो शुरुआत में गांवों के समूह एक या दो विकास खंडों के लिए जायेंगे और तीन या चार साल में पूरे जिले में फैलाया जाएगा। परियोजना को चरणबद्ध बनाने में लचीला रुख अपनाया जाएगा। प्रशिक्षण और साधन संबंधी सहायता देने वाली संस्थाएं और समूहों की मौजूदगी, स्थानीय समुदायों और महिला संगठनों की प्रतिक्रिया इत्यादि पर आने वाले सालों में कार्यक्रम का रूप निर्भर करेगा।

10.4 कार्यक्रम की वर्षवार प्रावस्था (अनंतिम)

अखिल भारतीय

11. विस्तार :

इस कार्यक्रम को तीन राज्यों में लागू करने का सुझाव दिया गया है : उत्तर प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक। पहले चरण में कुल 10 जिलों में यह कार्यक्रम शुरू होगा। इसके लिए निम्नलिखित जिलों को चुना गया है :-

गुजरात	1. बड़ौदा
	2. राजकोट
	3. सबरकांठा
कर्नाटक	1. बीदर
	2. बीजापुर
	3. मैसूर
उत्तर प्रदेश	1. बांदा
	2. टिहरी गढ़वाल
	3. सहारनपुर
	4. वाराणसी

12. कार्यक्रम के लिए वित्त (पैसा)

12.1 यह कार्यक्रम केन्द्रीय क्षेत्र परियोजना के रूप में लागू किया जाएगा जिसके अंतर्गत तीन राज्यों में पंजीकृत महिला समाख्या सोसायटी को 100% आधार पर पूंजी दी जाएगी।

12.2 सोसायटी को पैसा हर साल दो किस्तों में दिया जाएगा। पहली किस्त की 75% खर्च होने व उसका ब्यौरा मिलने पर दूसरी किश्त दी जाएगी।

12.3 सोसयटी से चार्टेड अकाउटैंट द्वारा विधिवत लेखा परीक्षित वार्षिक लेखा विवरण देने की आशा की जाती है।

12.4 जिला कार्यान्वन इकाई सोसायटी की शाखा के रूप में काम करेगी। राज्य स्तरीय अधिकारी अर्थात राज्य कार्यक्रम समन्वयक का दफ्तर अपनी शाखाओं का लेखा जोखा देगा।

12.5 सोसायटी, सितारा के लिए सोची गई राशि को संबंधित संगठन या संस्थान को दे देगी। सितारा अपना लेखा विवरण सोसायटी को देगा।

(दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जाये)

महिलाओं की समानता के लिए शिक्षा कार्यक्रम-महिला समाख्या के अनुरूप स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा ली गई परियोजनाओं के लिए सहायता की योजना

आवेदन पत्र

भाग-1

(आवेदक द्वारा भरा जाये)

1. संस्था का नाम .....

2. उसके उद्देश्य तथा कामः (संक्षिप्त पृष्ठभूमि दीजिए).....
   .....
   .....

3. क्या भारतीय सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का अधिनियम xxi), सार्वज़निक न्यास अथवा लाभ न कमाने वाली कम्पनी के अंतर्गत पंजीकृत है संबंधित दस्तावेजों की संख्या दीजिए तथा उसकी एक प्रति संलग्न कीजिए।
   .....

4. क्या संगठन को महिला विकास, ग्रामीण विकास, महिला संगठन, महिलाओं व बच्चों के लिए प्रारंभिक अथवा अनौपचारिक शिक्षा के क्षेत्र में कोई अनुभव है? अगर है, तो आयोजित कार्यक्रम के प्रकार, आकार व स्थान के बारे में संक्षिप्त विवरण दीजिए।
   .....
   .....
   .....
   .....

5. क्या संगठन का कार्यालय अपने भवन में है या किराए के भवन में.....
   .....

6. प्रायोगिक अथवा नई परियोजना का शीर्षक जिसके लिए अनुदान का आवेदन किया गया है तथा मुख्य-मुख्य नवीन / प्रायोगिक तत्वों सहित परियोजना का विवरण (अतिरिक्त पृष्ठ संलग्न कीजिए)
   .....
   .....

7. परियोजना की अवधि
   .....
   .....

8. क्या परियोजना के व्यय का कोई भाग किसी अन्य सरकारी, गैर-सरकारी अथवा विदेशी स्रोत द्वारा दिया जा रहा है अथवा दिये जाने की संभावना हैं? अगर ऐसा है, तो मात्रा तथा संस्था के नाम का उल्लेख कीजिए।

.....

.....

9. परियोजना पर कुल अनुमानित व्यय रु०.....
(वर्षवार ब्यौरा संलग्न किया जाये)
(i) अनावर्ती रु०.....
(ii) आवर्ती रु०.....

10. आवेदन में मांगे गये अनुदान की राशि
(i) अनावर्ती रु०.....
(ii) आवर्ती रु०.....

11. क्या संस्थान के पास परियोजना की देखरेख के लिए पर्याप्त व्यक्ति हैं? अगर हैं, तो ब्यौरा दीजिए।

.....

.....

.....

12. संलग्न किये जाने वाले कागजों/विवरणों की सूची संलग्न की जाये:
(क) संस्था का विधान (कन्स्टीटयूशन)/न्यास विलेख।
(ख) प्रत्येक सदस्य के विवरण के साथ प्रबन्धकीय बोर्ड का विधान (कन्स्टीट्यूशन)।
(ग) नवीनतम उपलब्ध वार्षिक रिपोर्ट।
(घ) पिछले तीन साल का हिसाब परीक्षित खाते, पूर्व वर्ष की प्रमाणित बैलन्स शीट की प्रति सहित

13. अतिरिक्त कागजों की सूची, यदि कोई हो।

14. अतिरिक्त सूचना, यदि कोई हो।

पदनाम तथा मोहर के साथ
प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

भाग-II
राज्य सरकार की सिफारिश

आवेदन की जांच कर ली गई है तथा यह प्रमाणित किया जाता है कि संगठन सहायता के लिए पात्र है तथा आवेदन में उल्लिखित कार्यक्रम को सम्भालने की क्षमता रखता है।

हस्ताक्षर.....
पदनाम तथा कार्यालय मोहर.....

इस पर हस्ताक्षर करने वाला अधिकारी अवर सचिव से नीचे के स्तर का नहीं होना चाहिए।

बन्ध पत्र

इस विलेख से यह सबको ज्ञात हो कि हम ..... जो सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन एक रजिस्ट्रकृत संगम है और जिसका कार्यालय —— राज्य में ——

में स्थित है (जिसे इसमें आगे "बाध्यताधारी" कहा गया है) भारत के राष्ट्रपति के प्रति (जिन्हें आगे "सरकार"कहा गया है) ———————————————— रुपये ————————————————

(अंकों में) (शब्दों में)
———————————— रुपये (की रकम के लिए वचनबद्ध और दृढ़तापूर्वक आबद्ध हैं। इस रकम की, मांग की जाने पर और बिना किसी आपत्ति के, सरकार को पूर्णतः और सही रूप में संदाय करने के लिए हम अपने को, अपने उत्तराधिकारियों और अपने समनुदेशितियों को आबद्ध करते हैं।

2. आज तारीख ———————————————————————— को इस पर हस्ताक्षर किए गए।

3. बाध्यताधारी की प्रार्थना पर, सरकार, संघ के मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) के पत्र सं॰ ———————————————— तारीख ———————————————— जिसे इसमें आगे "मंजूरी पत्र" कहा गया है जो इस विलेख का अभिन्न अंग है और जिसकी प्रति उपलब्ध अनुबन्ध-क के रूप में संलग्न है (कि अनुसार बाध्याताधारी को————————————————रुपये) केवल ———————————— रुपये) का अनुदान देने के लिए सहमत हो गई है, जिसमें से बाध्यताधारी इस शर्त पर _____ रुपये पहले ही प्राप्त कर चुका है कि बाध्यताधारी इसमें आगे दिए गए निबन्धनों के और रीति में एक बंध पत्र पर निष्पादित करेगा और बाध्यताधारी ऐसा करने के लिए सहमत भी हो गया है।

4. उक्त बाध्यता की शर्त यह है कि यदि बाध्यताधारी मंजूरी पत्र में उल्लिखित सभी शर्तों को सम्यकृत पूरा करता है और उनका अनुपालन करता है तो यह बंध पत्र की बाध्यता शून्य और निष्प्रभावी हो जाएगी अन्यथा यह पूर्णतः प्रवृत और बलशाली रहेगी। यदि अनुदान का कोई भाग उस अवधि के, जिसके भीतर उसका खर्च किया जाना है, अवधि समाप्त के पश्चात् शेष रह जाता है और उसकी अवधि बढ़ाने के लिए कोई करार नहीं होता है तो बाध्यताधारी ऐसे अवशेष की रकम 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित प्रतिदाय करने का करार करता है।

5. सोसाइटी न्यास करार और वचन बंध मानता है कि वह सरकार को ऐसे सभी धन संबंधी या अन्य फायदों का, जो वह मुख्य रूप से सरकारी अनुदान से सर्जित/अर्जित/सीनिर्मित संपत्ति, भवन के अनुधिकृति प्रयोग जैसे परिसर के पर्याप्त या पर्याप्त से कम प्रतिफल के लिए किराए पर देना अथवा परिसर का उस प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए प्रयोग करना जिसके लिए अनुदान अभिप्रायित था, (द्वारा) से प्राप्त करे या उससे व्युत्पन्न हों/उसने प्राप्त किए है या उसे व्युत्पन्न हुए हैं धनीय मूल्य अभ्यार्पित/संदत कर देगा। सरकार को अभ्यार्पित/संदत किए जाने वाले पूर्वाक्त धनीय मूल्य के बारे में

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) में भारत सरकार के सचिव या संबंद्ध विभाग के प्रशासनिक प्रधान का विनिश्चय अन्तिम और सोसायटी न्यास पर आबद्धकर होगा।

6. यह विलेख इस बात का भी साक्षी है कि —

(I) इस प्रश्न पर कि मंजूरी पत्र में उल्लिखित किसी निबंध या शर्त को भंग या अतिक्रमण किया या नहीं, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) में भारत सरकार के सचिव का विनिश्चय अंतिम और बाध्यताधारियों पर आबद्धकर होगा : और

(II) सरकार, इस विलेख पर संदेय स्टाम्प शुल्क का वहन करेगी।

7. इसके साक्ष्य स्वरूप, यह विलेख, बाध्यताधारियों के शासी निकाय द्वारा पारित तारीख ———————————— के संकल्प जिसकी प्रति उपबंध "ख" के रूप में संलग्न है, सं॰ ————————————————————————————————के अधीन और उसके अनुसरण में, बाध्यताधारियों की ओर से ऊपर लिखी तारीख को निष्पादित किया गया और राष्ट्रपति की ओर से और उनके लिए ————————————————————, द्वारा, नीचे लिखी तारीख को निष्पादित किया गया।

(बाध्यताकारी संघ का नाम)
के लिए और की ओर से निम्नलिखित की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए
(1)
(2)
साक्षी का नाम और पता

भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से स्वीकृत साक्षी का नाम और पता संलग्नक : क और ख
तारीख
पदनाम

अनुबंध-1

महिला समाख्या-महिलाओं की समानता के लिए शिक्षा कार्यक्रम के अनुरूप परियोजनाएं शुरू करने के लिए स्वैच्छिक संस्थाओं की सहायता की योजना।

उद्देय

सामान्य रूप से इस कार्यक्रम का उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) के व्यापक संदर्भ में तथा खासकर महिला समाख्या कार्यक्रम दस्तावेज में व्यक्त महिलाओं की शिक्षा के लिए प्रयोगात्मक और नवाचारी कार्यक्रम को बढ़ाना है जो निम्नलिखित है:—

1) सरकारी संस्थाओं और स्वैच्छिक संस्थाओं को जोड़ कर गांव की महिलाओं तक पहुंचना और उनके साथ लगातार बातचीत कर एक ऐसी योजना की पद्धति को तैयार करना जिसमें तुरन्त परिणाम हासिल करने के लिए शिक्षा के मूल सिद्धान्तों की उपेक्षा न हो। इससे एक ऐसी प्रक्रिया शुरू करने की उम्मीद है जिसमें महिलाएं अपने जीवन की स्थिति को उदासीन भाव से मान लेने के बजाय अपने जीवन और आसपास के माहौल के बारे में अपना फैसला खुद करने की जरूरत को महसूस करेंगी।
2) औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण देने के लिए और संक्षिप्त पाठ्यक्रमों के द्वारा शिक्षा की योग्तयाओं को बढ़ाने के मौजूदा प्रयासों को संगठित करने के लिए क्षेत्र सघन पद्धति को अपनाया जाएगा। उन्हें महिला संघों में महिलाओं के द्वारा जाहिर की गई इच्छा के साथ जोड़ते हुए मजबूत करना। सभी स्तरों पर और कार्यक्रम के सभी कार्यकर्ताओं के लिए एक नियमित गतिविधि के रूप में प्रशिक्षण की रूपरेखा तैयार करना। इससे महिलाओं के प्रति पुरानी सोच पर धीरे धीरे असर पड़ेगा और उन नये मूल्यों के विकास में मदद मिलेगी जो समाज में उनकी समान भागीदारी को प्रोत्साहित करेगा।
3) गैर-सरकारी संस्थाओं ने ग्रामीण महिलाओं में जो विश्वसनीयता बनाई है और शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने जो रचनात्मक काम किया है उसका फायदा उठाना। यह कार्यक्रम प्रबन्ध की परस्पर सहयोगी प्रणाली के जरिए उनकी सहायता प्राप्त करने का प्रयास करेगा।
4) स्कूल की व्यवस्था को समाज के प्रति विशेषकर अभिभावकों के प्रति जवाबदेह बनाने की प्रणाली तैयार करना।
5) शिक्षण सामग्री के रूप में संसाधन सहायता और संवेदनशील प्रशिक्षण के जरिए गांव के स्कूलों, अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों और प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों को सशक्त बनाना।

पात्रता

क) इस योजना के अंतर्गत शैक्षणिक संस्थाएं, पंजीकृत समितियां, सार्वजनिक व्यापार संघ (ट्रस्ट) और गैर मुनाफे वाली कम्पनियां सहायता के काबिल होंगी। सामान्यतः जिन संस्थाओं का कानूनी अस्तित्व नहीं है वे योग्य नहीं मानी जाएंगी।

ख) स्वैच्छिक संस्थाओं, सार्वजनिक व्यापारिक संघों और मुनाफा न कमाने वाली कम्पनियों को निम्नलिखित मापदण्ड को पूरा करना होगाः

I) उनका एक उचित संविधान या संगम अनुच्छेद (Article of Association) हो,

II) संविधान में स्पष्ट रूप से कहे गये कर्तव्यों और अधिकारों सहित एक उचित ढंग से गठित प्रबन्ध निकाय हो,

III) किसी भी एक व्यक्ति या व्यक्तियतों के समूह के लाभ के लिए नहीं चलाया जाए,

IV) किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के साथ धर्म, जाति, पंथ व लिंग के आधार पर कोई भेदभाव न करता हो,

V) किसी भी राजनीतिक दल के हितों के प्रोत्साहन के लिए सीधा काम न करता हो,

VI) किसी भी तरह से साम्प्रदायिक असामंजस्य को न भड़काता हो,

VII) धर्म प्रचार न करता हो, और

VIII) हिंसा से दूर रहता हो।

ग) इस योजना के अंतर्गत उन मौजूदा संस्थाओं की सहायता के लिए विचार किया जाएगा जो तीन साल से कार्यरत हैं, उन संस्थाओं को इस शर्त पर छूट दी जा सकती है जिनमें खास रूप से योग्य कार्यकर्ता हों या कुछ खास आधारों पर उन्हें न्यायसंगत माना जा सके।

सहायता का स्वरूप

क) महिलाओं को सशक्त बनाने और शिक्षा देने के लिए अच्छी तरह से तैयार परियोजनाएं लेना,

ख) तकनीकी संसाधन विकास के लिए पढ़ने की सामग्री शिक्षण / अध्ययन उपकरणों का विकास और अन्य पहलू

ग) प्रशिक्षण

घ) प्रायोगिक/ नये कार्यक्रमों को शुरू करने के लिए ढांचे का निर्माण;

ङ) मूल्यांकन और अनुसंधान

च) प्रायोगिक/ नये कार्यक्रमों के निष्कर्षों के प्रसार के लिए गतिविधियां और उन्हें अपनाना जिसमें प्रायोगिक नई परियोजनाओं के दौरे, प्रकाशन, प्रलेखन आदि शामिल है।

अगर किसी संस्था ने किसी अन्य सरकारी स्रोत से किसी ऐसी परियोजना के लिए पहले ही अनुदान प्राप्त किया है या जिसके पाने की संभावना है तो इस पर विचार करने के बाद ही इस योजना के अंतर्गत सहायता दी जाएगी। यह भी पहले से तय किया जाना चाहिए कि कोई भी संस्था जो कोई दूसरे सरकारी स्रोत से राज्य या केन्द्र से, आवर्ती अनुदान ले रही हो तो उसे उस जवाबदेही के हिस्से को इस योजना के तहत होने वाले अनुदानों में शामिल नहीं करना चाहिए।

सहायता उतनी ही अवधि के लिए मांगी जा सकती है जितनी आवेदक संस्था उचित समझती है। सामान्यतः ऐसी सहायता प्रयोगवादी और नवाचारी कार्यक्रम की खासियतों को ध्यान में रखते हुए मुहैया कराई जाएगी, पर एक समय में, पंचवर्षीय योजना की बची हुई अवधि से ज्यादा समय के लिए नहीं।

सामान्यतः इस योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता 100 प्रतिशत तक होगी। परन्तु जहां "सहायता अनुदान समिति" जरूरी समझती हो वहां संबंधित संस्था से कुछ दान के लिए उम्मीद की जा सकती है।

प्रक्रिया

क) **आवेदनः** वित्तीय सहायता पाने के लिए काबिल कोई भी संस्था इसके साथ दिए प्रपत्र में आवेदन कर सकती है। आवेदन पत्र मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) भारत सरकार, नई दिल्ली के नाम से होना चाहिए। संस्था की काबलियत, उपयुक्तता, और कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए संस्था की क्षमता के बारे में राज्य सरकार के विचार के लिए यह जरूरी है कि वह अपने आवेदन पत्र की एक प्रतिलिपि पंजीकृत प्राप्ति रसीद डाक से राज्य सरकार को भेजे। आवेदन की तारीख के तीन महीने के अंदर राज्य सरकार केन्द्र सरकार को अपने विचार भेजेगी। अखिल भारतीय संगठन अपने आवेदन सीधे तौर पर ही मंत्रालय को भेज सकते हैं और उसकी एक कापी राज्य सरकार को पंजीकृत प्राप्ति रसीद डाक से भेज सकते हैं।

ख) **सहायता अनुदान समितिः** सहायता अनुदान के लिए भेजे गए आवेदन पत्रों पर मंत्रालय द्वारा नियुक्त की जाने वाली एक सहायता अनुदान समिति विचार करेगी। अगर जरूरी हुआ तो आवेदन करने वाली संस्था को समिति के साथ प्रस्ताव पर बात करने के लिए बुलाया जा सकता है। सहायता अनुदान समिति को वह पक्का करना होगा कि ली जानी वाली परियोजनाएं महिला समाख्या परियोजना के अनुसार है।

(ग) **अनुदान प्रदान करनाः** परियोजना पास हो जाने पर संस्था को साल में दो किस्तों के आधार पर अनुदान दिया जाएगा-पहली किश्त, मंजूरी जारी होने के एक दम बाद ही जाएगी। संस्था इस किश्त का 75%इस्तेमाल करके प्रगति रिपोर्ट और खर्च के विवरण को भेजते हुए दूसरी किश्त के लिए निवेदन कर सकती है। दूसरे ओर आने वाले सालों में अनुदान इसी आधार पर दिया जाएगा पर यह जरूरी है कि किसी वित्तीय वर्ष में दूसरी किश्त देने से पहले (दूसरा वर्ष शुरू होने पर) पिछले साल के अंत तक दिए गए अनुदान के संबंध में उपयोगिता प्रमाण पत्र और लेखा परीक्षित विवरण प्रस्तुत किया जाना होगा।

(घ) **भुगतानः** किसी स्वैच्छिक संस्था, सार्वजनिक न्यास, गैर मुनाफाखोर कम्पनियों आदि को दिया जाने वाला अनुदान मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा इनके पक्ष में काटे गए चैक, बैंक ड्राफ्ट द्वारा इन्हें सीधा दिया जाएगा।

अनुदान की शर्तें

i) अनुदान पाने वाली संस्थाओं को एक निर्धारित प्रपत्र (संलग्न) पर एक बन्ध पत्र (बांड) भरना होगा। अगर संस्था का कोई कानूनी अस्तित्व नहीं हैं तो बन्ध पत्र में दो जमानतें होनी चाहिए।

ii) वित्तीय मदद पाने वाली संस्था का केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय या राज्य के किसी एक अधिकारी या एक मनोनीत व्यक्ति के द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

iii) परियोजना के हिसाब को अलग और ढंग से रखा जाना चाहिए ताकि जरूरत पड़ने पर उसे दिया जा सके। इस हिसाब की भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा मनोनीत अधिकारी के द्वारा जांच की जा सकती है। यह हिसाब भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा उनकी इच्छा के अनुसार परीक्षण में जांचा जा सकता है।

iv) चार्टर्ड एकांटैंट के द्वारा लेखा परीक्षित लेखों को निर्धारित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ प्रतिहस्ताक्षरित करवा कर, पहले साल के छः महीने के अंदर या बिना अवधि के लिए अनुदान लिया गया है उस अवधि के खत्म होने के बाद पेश किया जाना चाहिए।

v) सरकारी अनुदान से पूर्णतः या आंशिक तौर से ली गई परिसम्पतियों का रिकार्ड संस्था को रखना होगा और ऐसी परिसंम्पतियों का निर्धारित प्रपत्र में एक रजिस्टर रखना होगा। भारत सरकार की मंजूरी के बिना परिसम्पतियों का न तो निपटान किया जाएगा, न ऋणग्रस्त रखा जाएगा और न ही अनुदान से भिन्न किसी दूसरे उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। संस्था के बाद या खत्म हो जाने पर ये परिसम्पत्तियां भारत सरकार की हो जाएंगी।

vi) यदि राज्य सरकार / भारत सरकार के पास यह विश्वास करने के कारण हों कि स्वीकृति राशि को अनुमोदित उद्देश्य के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है तब अनुदान का भुगतान रोक दिया जा सकता है और पहले दिए गए अनुदानों को वापिस लिया जा सकता है।

vii) स्वीकृत परियोजना को चलाने में संस्थान को काफी किफायत बरतनी चाहिए।

viii) अनुदान पाई संस्थाएं मानव संसाधन विकास मंत्रालय को पहले से तय रिपोर्ट पेश करेंगी।

ix) यदि स्वीकृति पत्र में कही गई शर्तों और हालातों में से किसी एक का भी उल्लंघन या अवहेलना की जा रही है तो इस सवाल पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा विभाग, भारत सरकार के सचिव का फैसला आखिरी होगा और अनुदान लेने वाली संस्था उससे बंधी हुई है।

LIBRARY & DOCUMENTATION Unit
National Institute of Educational
Planning and Administration
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016
DOC, No. D-10791
Date 26-07-2011

NIEPA DC
D10791

प्रकाशन संख्या 1661